

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(135)परि/नियम/मु./2020/2288

जयपुर, दिनांक : 22/12/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में LPG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Unitax Automotive को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त LPG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115C एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त LPG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट एजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Year of Manufacturer	Type Approval Certificate No. & Date
Maruti Wagon R LXI M BS IV	998	June 2013	CAPL 0090 Dt. 24-02-2020

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	MARUTI WAGON R	1197	Vehicle manufactured from April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAPL 0090 L01 Dt. 05-03-2020
2	MARUTI ALTO K10	998		
3	MARUTI ASTAR	998		
4	MARUTI SUZUKI BALENO	1197		
5	MARUTI CELERIO	998		
6	MARUTI EECO (5 SEATER)	1196		
7	MARUTI EECO (7 SEATER)	1196		
8	MARUTI OMNI (5 SEATER)	796		
9	MARUTI OMNI (8 SEATER)	796		
10	MARUTI RITZ	1197		
11	MARUTI SWIFT	1197		
12	MARUTI ZEN ESTILO	998		
13	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
14	MARUTI SUZUKI IGNIS	1197		
15	MARUTI ALTO 800	796		
16	MARUTI SWIFT DZIRE TOUR	1197		

17	MARUTI CELERIO X	998	Vehicle manufactured from April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAPL 0090 L01 Dt. 05-03-2020
18	HYUNDAI EON KAPPA	998		
19	HYUNDAI GRAND i10	1197		
20	HYUNDAI SANTRO XING	1086		
21	HYUNDAI i10 1.1	1086		
22	HYUNDAI i20 ELITE	1197		
23	HYUNDAI XCENT	1197		
24	HONDA BRIO	1199		
25	HONDA JAZZ	1199		
26	HONDA WR-V	1199		
27	HONDA AMAZE MT	1199		
28	CHEVROLET BEAT	1199		
29	CHEVROLET SPARK	995		
30	CHEVROLET SAIL (HATCH BACK)	1199		
31	DATSUN GO	1199		
32	HYUNDAI EON	814		
33	DATSUN REDI GO	999		
34	FIAT PUNTO EVO 1.2	1172		
35	FORD FIGO FREESTYLE	1194		
36	MAHINDRA KUV 100	1198		
37	NISSAN MICRA	1198		
38	RENAULT KWID	999		
39	RENAULT PULSE	1198		
40	SKODA FABIA	1198		
41	TATA BOLT	1193		
42	TATA ZEST	1193		
43	TATA INDIGO eCS	1193		
44	TATA TIGOR	1199		
45	TOYOTA ETIOS CROSS G	1197		
46	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
47	VOLKSWAGEN POLO	1197		
48	VOLKSWAGEN AMEO	1198		

- इन वाहनों में उक्त LPG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में LPG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में LPG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता LPG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये LPG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि LPG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में LPG Kit पुनः Fitment लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। LPG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

9156
(नानूराम चौयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
22.12.2020
जयपुर, दिनांक :

क्रमांक प.7(38)()परि/नियम/मु./2020

प्रतिलिपि:-

1. M/s. M-11, Gali No. 10, First Floor, Anand Parbat Industrial Area, Delhi-110005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

—sd—
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

जयपुर, दिनांक : 10/06/2020

क्रमांक प.7(38)(135)परि/नियम/मु./05-06 /187/

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,,

विषय:- पेट्रोल चालित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Unitax Automotive को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) A.(II) एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Capacity CM ³ (CC)	Type & Category	Type Approval Certificate No. & Date	GVW(Kg)
Wagon R VXI BS IV	998	Passenger Car	CAPA 0055 Dt. 14.02.2020	1350

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET BEAT	1199	01 st April 2010 till 31 march 2013	CAPA 0055 L01 Dt. 05.02.2020
2	CHEVROLET SPARK	995		
3	CHEVROLET AVEO UVA	1150		
4	CHEVROLET SAIL	1199		
5	CHEVROLET SAIL UVA	1199		
6	FIAT GRAND PUNTO	1172		
7	FIAT PALIO STILE	1108		
8	FORD FIGO	1196		
9	HONDA AMAZE AT	1198		
10	HONDA BRIO	1198		
11	HONDA JAZZ	1199		
12	HYUNDAI EON	814		
13	HYUNDAI EON	998		
14	HYUNDAI GETZ	1086		
15	HYUNDAI i 10 1.2	1197		
16	HYUNDAI i 10 ERA	1086		
17	HYUNDAI i 20 1.2L	1197		
18	HYUNDAI SANTRO	1086		
19	MARUTI ASTAR	998		
20	MARUTI ALTO 800	796		
21	MARUTI ALTO K10	998		

22	MARUTI CELERIO	998		
23	MARUTI EECO (5 SEATER)	1196		
24	MARUTI EECO(7 SEATER)	1196		
25	MARUTI OMNI (5 SEATER)	796		
26	MARUTI OMNI (8 SEATER)	796		
27	MARUTI RITZ	1197		
28	MARUTI SWIFT	1197		
29	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
30	MARUTI ZEN ESTILO	998		
31	NISSAN MICRA	1198		
32	RENAULT PULSE	1198		
33	SKODA FABIA	1198		
34	TATA INDICA V2 XETA	1198		
35	TATA INDICA VISTA	1172		
36	TATA INDIGO eCS	1193		
37	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
38	VOLKSWAGEN POLO	1198		
39	VOLKSWAGEN VENTO	1198		

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ संलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदायकर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदायकर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
- केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
- वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
- वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(विनोद कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

10/6/2020

क्रमांक प.7(38)(135)परि/नियम/मु./05-06/1872-74

जयपुर, दिनांक : 10/06/2000

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Unitax Automotive, M-11, Gali No. 10, First Floor, Anand Parbat Industrial Area, Delhi- 110 005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

-sd-

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(135)परि/नियम/मु./05-06 /1875

जयपुर, दिनांक : 18/06/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Unitax Automotive को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) A.(II) एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Capacity CM ³ (CC)	Type & Category	Type Approval Certificate No. & Date	GVW(Kg)
Wagon R LXI BS IV	998	Passenger Car	CAOA0308 Dt. 06.12.2019	1350

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	MARUTI WAGON R	1197	01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV Norms	CAOA0308 L01 Dt. 30-12-2019
2	MARUTI ALTO K10	998		
3	MARUTI ASTAR	998		
4	MARUTI SUZUKI BALENO	1197		
5	MARUTI CELERIO	998		
6	MARUTI EECO (5 SEATER)	1196		
7	MARUTI EECO(7 SEATER)	1196		
8	MARUTI EECO CARGO	1196		
9	MARUTI OMNI(5 SEATER)	796		
10	MARUTI OMNI (8 SEATER)	796		
11	MARUTI OMNI CARGO	796		
12	MARUTI RITZ	1197		
13	MARUTI SWIFT	1197		
14	MARUTI ZEN ESTILO	998		
15	MARUTI WAGON R STINGRAY	998		
16	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
17	MARUTI DZIRE	1197		
18	MARUTI SUZUKI IGNIS	1197		
19	MARUTI WAGON R PRO+	998		
20	MARUTI ALTO 800	796		
21	MARUTI SWIFT DZIRE TOUR	1197		
22	MARUTI CELERIO X	998		
23	MARUTI CELERIO TOUR H1	998		

24	MARUTI CELERIO TOUR H2	998
25	MARUTI EECO TOUR V(5 Seater)	1196
26	MARUTI EECO TOUR V(7 Seater)	1196
27	HYUNDAI EON KAPPA	998
28	HYUNDAI GRAND i10	1197
29	HYUNDAI SANTRO XING	1086
30	HYUNDAI i10 1.1	1086
31	HYUNDAI i10 1.2	1197
32	HYUNDAI i20 ELITE	1197
33	HYUNDAI i20 ACTIVE	1197
34	HYUNDAI i20 MAGNA	1197
35	HYUNDAI XCENT	1197
36	HYUNDAI XCENT PRIME	1197
37	HYUNDAI EON	814
38	HONDA BRIO	1198
39	HONDA JAZZ	1199
40	VOLKSWAGEN VENTO	1197
41	HONDA WR-V	1199
42	HONDA AMAZE AT	1199
43	HONDA AMAZE MT	1199
44	CHEVROLET BEAT	1199
45	CHEVROLET SPARK	995
46	CHEVROLET SAIL (HATCH BACK)	1199
47	CHEVROLET SAIL (SEDAN)	1199
48	DATSIJN GO	1198
49	DATSUN GO PLUS	1198
50	DATSUN REDI GO	999
51	FIAT GRAND PUNTO	1172
52	FIAT PUNTO EVO 1.2	1172
53	FIAT PALIO STILE	1108
54	FIAT PUNTO	1172
55	FORD FIGO	1194
56	FORD FIGO FREESTYLE	1194
57	FORD ECO SPORT	999
58	FORD FIGO ASPIRE	1194
59	MAHINDRA KUV 100	1198
60	NISSAN MICRA	1198
61	NISSAN MICRA ACTIVE	1198
62	RENAULT KWID	999
63	RENAULT PULSE	1198
64	RENAULT KWID	799
65	SKODA FABIA	1198
66	TATA BOLT	1193
67	TATA ZEST	1193
68	TATA ZICA	1199
69	TATA INDIGO eCS	1193
70	TATA TIAGO	1199
71	TATA INDICA VISTA	1172
72	TATA INDICA XETA	1193
73	TATA TIGOR JTP	1199
74	TAT A TIGOR	1199

75	TATA NEXON	1198		
76	TOYOTA ETIOS CROSS G	1197		
77	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
78	VOLKSWAGEN POLO	1198		
79	VOLKSWAGEN CROSS POLO	1198		
80	VOLKSWAGEN AMEO	1198		
81	MAHINDRA XUV 300	1197		
82	TOYOTA GLANZA	1197		
83	HYUNDAI VENUE 1.2	1197		
84	HYUNDAI VENUE 1.0	998		

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ संलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
- केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
- वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
- वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


 (विनोद कुमार)
 संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(135)परि/नियम/मु./05-06/1876-78

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि:-

- M/s. Unitax Automotive, M-11, Gali No. 10, First Floor, Anand Parbat Industrial Area, Delhi- 110 005 को सूचनार्थ प्रेषित है।